न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 35/2018, जी.सी.एम.एस. नं. 2018/00187

1. बरफी वेवा रामराज जाति मीना निवासी ग्राम लोदा तहसील नादोती जिला करौली राज0

अपी0

बनाम

1. मुस्मात केशी वेवा रामराज जाति मीना निवासी उदेई खुर्द तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर, राज0।
2. राजेन्द्र पुत्र रामराज जाति मीना निवासी ग्राम लोदा तहसील नादोति जिला करौली।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नादौती जिला करौली।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपजिला कलेक्टर नादौती मु0न0 09/2015
निर्णय दिनांक 30.01.2017)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री शिवकुमार शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री रामदयाल त्रिवेदी

निर्णय **दिनांक 29.11.2021**

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 09/2015 निर्णय दिनांक 30.01.2017 न्यायालय उपजिला कलेक्टर नादौती के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पों. की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि सायलान के कब्जे क[illegible]जी हाल ख.नं. 319 रकबा 1.23 है0, ख.नं. 320 रकबा 0.36 है0, ख.नं. 347 रक[illegible]43 है0, ख.नं. 421 रकबा 0.84 है0, ख.नं. 481 रकबा 0.37 है0, ख.नं. 482 रकबा 0.16 है0, ख.नं. 414 रकबा [illegible] है0, ख.नं. 479 रकबा 1.50 है0, ख.नं. 680 रकबा 2.25 है0, ख.नं. 682 रकबा 0.09 है0, ख.नं. 750 रकबा 0.16 है0, ख.नं. 765 रकबा 1.86 है0, ख.नं. 334 रकबा 0.11 है0, ख.नं. 423 रकबा 0.12 है0, ख.नं. 424 रकबा 0.20 है0, ख.नं. 425 रकबा 0.14 है0, ख.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

480 रकबा 0.14 है0, ख.नं. 754 रकबा 0.39 है0, ख.नं. 757 रकबा 0.87 है0, ख.नं. 426 रकबा 0.31 है0, ख.नं. 799 रकबा 0.36 है0, ख.नं. 681 रकबा 0.56 है0, ख.नं. 375 रकबा 0.22 है0, ख.नं. 376 रकबा 0.30 है0 व ख.नं. 420 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम लोदा तहसील नादौती जिला करौली में स्थित है। जिसमें सायलान/रेस्पों. का 1/5 हिस्सा है। उपरोक्त आराजीयात में हिस्सा 1/5 के सायलान/रेस्पों. तन्हा मालिक है। किसी अन्य दीगर व्यक्ति का उपरोक्त आराजीयात से कोई सम्बंध वास्ता किसी प्रकार का नहीं हैं। उपरोक्त आराजीयात सायलान/रेस्पों. की पुस्तैनी आराजीयात रही है। सायलान/रेस्पों. नं. 1 की शादी आज से करीब 35 वर्ष पूर्व मृतक रामराज पुत्र जयचन्द मीना निवासी लोदा के साथ सम्पन्न हुयी थी। शादी के वक्त सायलान/रेस्पों. नं. 1 नाबालिग थी। सायलान/रेस्पों. नं. 1 का गौणा होने के काफी दिनों बाद मृतक रामराज के बिन्द से सायलान/रेस्पों. नं. 1 के एक पुत्र सायलान/रेस्पों. नं. 2 राजेन्द्र उत्पन्न हुआ है जो वर्तमान में नाबालिक है जिसकी संरक्षिका माता खुद सायलान/रेस्पों. नं. 1 है। सायलान/रेस्पों. नं. 1 के पति एवं सायलान/रेस्पों. नं. 2 के पिता रामराज की मृत्यु दिनांक 05.06.2014 को ग्राम लोदा में हो गई है जो उपरोक्त आराजीयात के 1/5 हिस्से के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार था। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके लीगल वारिस सायलान/रेस्पों. नं. 1 व 2 है। इनके अतिरिक्त मृतक रामराज का कोई वारिस नहीं है। मृतक रामराज की मृत्यु के पश्चात् उसके हिस्से की आराजी पर सायलान/रेस्पों. ही काबिज काश्त है तथा उक्त विवादित आराजीयात में 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है एवं इसी प्रकार अपने राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। सायलान/रेस्पों. नं. 1 के पति को फौत हुए आज करीब 5 माह का समय व्यतीत होने के पश्चात् भी हल्का पटवारी ने सायलान/रेस्पों. के नाम उपरोक्त आराजीयात का नामांतकरण आज दिन तक नहीं खोला है। जबकि सायलान/रेस्पों. ने कई बार हल्का पटवारी से सम्पर्क किया परन्तु हल्का पटवारी तालमटोल करता रहा एवं दिनांक 17.11.2014 को हल्का पटवारी ने नामांतकरण भरने से साफ इंकार कर दिया है तथा सायलान/रेस्पों. को अवगत करवाया गया है कि एक महिला जो ग्राम मनेवा तहसील हिन्डौन सिटी की बताती है एवं मृतक रामराज की पत्नी होने का दावा हल्का पटवारी के सामने कर रही है। इसलिए मजबूरन सायलान/रेस्पों. को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। गैरसायलान/अपील0 अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया तो सायलान/रेस्पों. पूरी तरह बर्बाद हो जायेगी तथा सायलान/रेस्पों. को भारी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी प्रकार के दृव्य में भी संभव नहीं हो सकेगी तथा सायलान/रेस्पों. का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है एवं सुविधा का सन्तुलन सायलान/रेस्पों. के पक्ष में साबित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कि गैरसायलान/अपी0 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबंद फरमाया जावें कि वे उक्त विवादित आराजीयात के 1/5 हिस्से का नामान्तकरण किसी अन्य महिला के नाम तस्दीक नहीं करें व ताफैसला दावा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गयी। सायलान/रेस्पों. का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से अपी0 के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0 द्वारा अपील पेश की गयी है।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.01.2017 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया है क्योंकि आदेशात्मक अस्थायी निषेधाज्ञा का क्षेत्राधिकार राजस्व अदालत को नहीं है। लैण्ड होल्डर द्वारा अपने जबाव में भूअभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर इस तथ्य का विशेष उल्लेख किया है कि मृतक रामराज के वारीसो कि जांच के दौरान उसकी वारीस 2 पत्नीयां अपी0 एवं रेस्पों. सं. 1 तथा रेस्पों. सं. 2 है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को आदेश 1 नियम 10 के उपनियम 2 में प्रदतः शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्वंय अपी0 को पक्षकार बनाकर उसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को एक साथ विधि संवत् तरीके से निस्तारित किया जाना अधिनस्थ न्यायालय से अपेक्षित था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर अधिरोपित दायित्वों की अवेहलना कर विवादित निर्णय पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से विवादित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। पक्षकार व मृतक जाति से मीना होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व हिन्दू विवाह अधिनियम लागू नहीं होते है। वे अपने सामाजिक रूढियों परम्पराओं एवं प्रचलित रितिरिवाजों से संचालित होते है जिनके अनुसार बहु विवाह को मान्यता प्रदान किये जाने से अपीलार्थी मृतक की विधि संवत् पत्नी है। जिसको बिना पक्षकार बनाये विवादित निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित करने में गम्भीर विधिक त्रुटि किये जाने से विवादित निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी मृतक रामराज के जीवनकाल में उसके साथ वहैसियत पत्नी व उसकी मृत्यु के बाद विधवा के रूप में ग्राम लोदा तहसील नादौती जिला करौली में निवास कर उसकी समस्त चल अचल सम्पत्ति पर काबिज होकर कृषि भूमि को काश्त करती चली आ रही है। जबकि रेस्पों. सं. 1 ग्राम लोदा में नहीं रही और ना ही रामराज की मृत्यु के बाद ग्राम लोदा में निवास करती

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है। मृतक के समस्त अभिलेखों में जैसे भामाशाह कार्ड निरवाचक पहचान पत्र आदि में अपीलार्थी का नाम ही उसकी पत्नी के रूप में अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय की न्यायिक कार्यवाहियों में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं उसके हितों के विरूद्व साजसी तौर पर अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश दिया है। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को सर्वप्रथम हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 21.02.2018 को प्राप्त हुई है। दिनांक 26.02.2018 को अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय कि नकल प्राप्त की। अपी0 द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। इस प्रकार उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलार्थी को हो सका। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

4. विद्वान रेस्पों0 के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि उक्त विवादित आराजीयात में रेस्पों. का 1/5 हिस्सा है उपरोक्त आराजीयात में हिस्सा 1/5 के रेस्पों. तन्हा मालिक है। किसी अन्य दीगर व्यक्ति का उपरोक्त आराजीयात से कोई सम्बंध वास्ता किसी प्रकार का नहीं हैं। उपरोक्त आराजीयात रेस्पों. की पुस्तैनी आराजीयात रही है। रेस्पों. नं. 1 की शादी आज से करीब 41 वर्ष पूर्व मृतक रामराज पुत्र जयचन्द मीना निवासी लोदा के साथ सम्पन्न हुयी थी। शादी के वक्त रेस्पों. नं. 1 नाबालिग थी। रेस्पों. नं. 1 का गौणा होने के काफी दिनों बाद मृतक रामराज के बिन्द से रेस्पों. के एक पुत्र रेस्पों. नं. 2 राजेन्द्र उत्पन्न हुआ है जो वर्तमान में नाबालिक है जिसकी संरक्षिका माता खुद रेस्पों. नं. 1 है। रेस्पों. नं. 1 के पति एवं रेस्पों. नं. 2 के पिता रामराज की मृत्यु दिनांक 05.06.2014 को ग्राम लोदा में हो गई है जो उपरोक्त आराजीयात के 1/5 हिस्से के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार था। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके लीगल वारिस रेस्पों. नं. 1 व 2 है। इनके अतिरिक्त मृतक रामराज का कोई वारिस नही है। मृतक रामराज की मृत्यु के पश्चात् उसके हिस्से की आराजी पर रेस्पों. ही काबिज काश्त है तथा उक्त विवादित आराजीयात में 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है एवं इसी प्रकार अपने राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। रेस्पों. नं. 1 के पति को फौत हुए आज करीब 7 साल का समय व्यतीत होने के पश्चात् भी हल्का पटवारी ने रेस्पों. के नाम उपरोक्त आराजीयात का नामांतकरण आज दिन तक नहीं [illegible] हल्का पटवारी से सम्पर्क किया परन्तु हल्का पटवारी टालमटोल कर रहा [illegible] दिनांक 17.11.2014 को हल्का पटवारी ने नामांतकरण भरने से साफ इंकार कर दिया है तथा रेस्पों. को अवगत करवाया गया है कि एक महिला [illegible] हिन्डौनसिटी की बताती है एवं मृतक रामराज की पत्नि होने का दावा हल्का पटवारी के सामने कर रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गैरसायलान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो गया तो सायलान पूरी तरह बर्बाद हो जायेगा एवं सायलान को भारी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी प्रकार के दृव्य में भी संभव नहीं हो सकेगी तथा सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है एवं सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में साबित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी का मृतक रामराज बहिस्सा खातेदार दर्ज है। अपी0 एवं रेस्पों. सं. 1 दोनों मृतक की पत्नीयां होने का दावा कर विवादित आराजी में अपना हक मांग रही है। इस बाबत् अधिनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन है। जिसमें उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद बिन्दु तय किये जाना शेष है। तब तक राजस्व रिकॉर्ड में यथास्थिति बनाये रखना उचित है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2017 में आदेशित किया है कि " सायलान का हिस्सा 1/5 का नामांतकरण किसी अन्य महिला के नाम तस्दीक न करें " विधिक रूप से त्रुटियुक्त है। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर नादौती के मु0नं0 09/15 निर्णय दिनांक 30.01.2017 को संशोधित किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखें।

9. निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:37 IST
Reason: SelfAttested

29.11.21
(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner